29/8/24 पत्रावली पेशी में ली गई। TDR मामले के पत्रांक
1926 दिनांक 23/5/24 द्वारा सूचना प्राप्त
कि हस्तगत प्रकरण का तत्पश्चात रकबा
तब्दील होकर रकबा (खातेदारी) में दर्ज
हुई फलतः [illegible] प्रस्ताव का औचित्य
नहीं है अवलोकन किया वाद जॉंच नियम
जाना उचित नहीं है। पत्रावली deadlist में
खारिज की जाती है। दाखिल दफ्तर रहे।

Divya

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.08.29 20:05:01 IST
Reason: SelfAttested